संख्या-79/2016/यू.ओ.-27/सैंतीस-2-2016

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 जून, 2016

विषयः- **सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन नम्बर-20262/2016 राज्य बनाम प्रिसाइडिंग आफिसर लेबर, कोर्ट झांसी व अन्य से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 04-05-2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-290/स्था0-2/1-ख/14(1324)/2016, दिनांक-17.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि वाद मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है अतः सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन नम्बर-20262/2016 राज्य बनाम प्रिसाइडिंग आफिसर लेबर, कोर्ट झांसी व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04-05-2016 के अनुपालन हेतु रू0-16,56,364/- (रूपये सोलह लाख छप्पन हजार तीन सौ चौंसठ मात्र) की धनराशि लोक लेखे के लेखाशीर्ष "8674-सरकार द्वारा की गयी प्रतिभूति जमा-101-सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति जमा-01-न्यायालयों के पास जमा जमानत की धनराशि" के संवितरण पक्ष से आहरित कर मा0 उच्च न्यायालय में जमा किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि प्रश्नगत वाद में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में दिया जाता है तो मा0 उच्च न्यायालय में जमा की गयी धनराशि को लोक लेखे के लेखाशीर्ष "8674-सरकार द्वारा की गयी प्रतिभूति जमा-101-सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति जमा-01-न्यायालयों के पास जमा जमानत की धनराशि" के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जाना होगा। यदि निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में नहीं होता है तो उस स्थिति में धनराशि रूपये 16,56,364/- को विभागीय अनुदान के सुसंगत लेखाशीर्ष से आहरित कर लोक लेखे के लेखाशीर्ष "8674-सरकार द्वारा की गयी प्रतिभूति जमा-101-सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति जमा-01-न्यायालयों के पास जमा जमानत की धनराशि" के प्राप्ति पक्ष में पुस्तक समायोजन से जमा किया जाना होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक लेखे के लेखाशीर्ष "8674-सरकार द्वारा की गयी प्रतिभूति जमा-101-सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति जमा-01-न्यायालयों के पास जमा जमानत की धनराशि" के संवितरण पक्ष के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू.ओ.-560/दस-2016, दिनांक-17.06.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-79/2016/यू.ओ.-27/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।